



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 413) पटना, बुधवार, 29 अप्रील 2026

सं० 10 / फसल-प्रक्षेत्र-17 / 2025-2739
कृषि विभाग

संकल्प

29 अप्रील 2026

विषय:- नये राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के स्थापना के लिए कृषि विभाग को शहरी बीज गुणन ईकाईयों में उपलब्ध भूमि की दुगुना भूमि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने तथा शहरी बीज गुणन प्रक्षेत्रों की वर्णित भूमि को अन्य विभाग के विकासोन्मुख योजनाओं के प्रयोजनार्थ IDA (Infrastructure Development Authority) के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से संबंधित नीति निर्धारण की स्वीकृति।

राज्य में कृषि विभाग के अधीन 239 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र हैं, जिसमें कृषि अनुसंधान एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित गुणवत्तायुक्त बीजों को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

2. राज्य में बढ़ते हुए शहरीकरण एवं औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं तथा कृषि के अलावे अन्य विकासोन्मुख योजनाओं हेतु जमीनों की आवश्यकता हो रही है, जिसके लिए कृषि विभाग से जमीनों के लिए कृषि फार्म के हस्तांतरण की मांग की जा रही है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि कई जगहों पर कृषि विभाग के कृषि फार्म बढ़ते हुए शहरों के बीच में आ गये हैं, जिससे उनके मूल कार्य को करने में बाधा उत्पन्न होती है।

3. पूर्व में कृषि प्रक्षेत्रों के जमीन हस्तांतरण संबंधी नीति को भी विभागीय संकल्प संख्या 1289 दिनांक 18.04.2006 के द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में संशोधन की आवश्यकता है। जमीन हस्तांतरण हेतु निम्न प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

- (i) कृषि विभाग के शहरी क्षेत्र के कुल 22 (बाइस) राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र (सूची अनुलग्नक:-01 पर संलग्न) जिसका कुल रकबा 368.12 हेक्टेयर है को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA, Bihar) को निःशुल्क हस्तांतरित किया जायेगा।

- (ii) हस्तांतरित की गई भूमि के बदले आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA, Bihar) कृषि विभाग को कुल हस्तांतरित भूमि के दुगुना रकबा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करायेगी। इसके लिए कृषि योग्य क्षेत्रों में कृषि जमीन का उपयोगिता के आधार पर चयन किया जाएगा, जिससे कि इसे कृषि अनुसंधान एवं बीज उत्पादन के कार्य में उपयोग किया जा सके।
 - (iii) राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र हेतु एक ही जगह कम से कम 10 हे0 रकबा के समतुल्य भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
 - (iv) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA, Bihar) कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि/जमीन को विभिन्न विभागों को विकासोन्मुख योजनाओं हेतु निशुल्क उपलब्ध करायेगी।
4. वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
6. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 22.04.2026 को प्राप्त है। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 22.04.2026 में मद संख्या-12 के रूप में सम्मिलित किया गया है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
प्रधान सचिव।

अनुसूची-01
भाहरी क्षेत्र अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की विवरणी।

क्र०	जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	कुल रकबा (हे० में)
1	पटना	पटना सदर	फतुहा	08.00
		मसौढ़ी	धनरूआ	10.00
2	नालंदा	बिहार शरीफ	बीजवन	03.00
3	पूर्वी-चम्पारण	जिला प्रक्षेत्र	पीपराकोठी	41.00
		मोतिहारी सदर	भवानीपुर	10.00
4	जहानाबाद	जहानाबाद	जहानाबाद	07.19
5	नवादा	नवादा	जिला प्रक्षेत्र	35.20
6	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कछपा	21.00
			दाउदनगर	10.00
7	पश्चिमी-चम्पारण	बेतिया	परसा	53.30
			बरवत	18.34
8	मधुबनी	झंझारपुर	अदलपुर	10.00
9	बेगुसराय	बेगुसराय	विष्णुपुर	18.50
10	मुंगेर	मुंगेर	तारापुर	09.34
			संग्रामपुर	10.34
11	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	खुशकीबाग	33.61
			बेलौरी	10.50
12	किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज	09.00
13	अररिया	अररिया	अररिया	10.00
14	कटिहार	कटिहार	कटिहार	20.30
15	बांका	बांका	अमरपुर	09.50
			बांका	10.00
कुल रकबा (हेक्टेयर में)				368.12

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 413-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>